उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-96/2018/1931/92-2-18-03सी0क्यू0/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 27 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-फैजाबाद के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, एपेक्स तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में प्राविधिक परीक्षक (मुख्यालय) ग्राम्य विकास एवं प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास, फैजाबाद मण्डल की समिति की जांच आख्या दिनांक 04-01-2005 में परिलक्षित शासकीय क्षति/अनियमितता हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अशोक कुमार, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-फैजाबाद को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) निर्धारित अवधि में शासन को उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 96/2018/1931(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-508/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/विविध/18-19 दिनांक 04-07-2018 के क्रम में।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-लखनऊ को अनुमोदित आरोप पत्र की 02 प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुमोदित आरोप पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को तामील कराकर तमीली रसीद शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-फैजाबाद।

4- श्री अशोक कुमार, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,पी0आई0यू0-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-श्रावस्ती द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in